मेरठ विकास प्राधिकरण

की

43वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 9—9—91

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 9-9-91

समय : प्रातः 11-00 बजे

स्थान : शिविर कार्यालय

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपस्थिति :

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री निर्मल कुमार जैन	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेष सचिव (वित्त)	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9-9-91 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9-9-91 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष , मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में उनके शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया ।

1-	श्री जे०एन०रन्जन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री एन०के०जैन	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेषसचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ	सदस्य
4-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ ।	सदस्य

मद संख्या-1

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 15-7-91 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

आज की बैठक में प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक 15-7-91 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या -2

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 तथा दिनाँक 15-7-91 के कार्यवृत के अनुपालन आख्या का अवलोकन।

आज की बैठक में प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक 22-10-90 तथा 15-7-91 के कार्यवृत की अनुपालन आख्या सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। अवलोकन के समय प्राधिकरण के मदवार ओबजरवेशन निम्नवत हैं :-

बैठक दिनाँक 22-10-90

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना में हाकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना।

प्राधिकरण ने खेल-कूद निदेशालय को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि की जो टर्म एण्ड कंडीशन्स भेजी गयी हैं, उनका अवलोकन किया। प्राधिकरण ने शर्त संख्या-3 और 9 को छोडकर शेष शर्तों पर सहमति प्रकट की।

मद संख्या -4

विकास शुल्क के रुप में जमा धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रस्ताव।

प्राधिकरण का आबजर्वेशन था कि विगत दो बैठकों में इस बिषय पर कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि आवास एवं विकास परिषद का जो क्षेत्र नगर महापालिका को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित हो गये हैं उनमें प्राधिकरण का अधिकार स्वत: ही बढ जाता है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को कोई नोटिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है निश्चय किया गया कि उपाध्यक्ष इस मसले में विधिक राय लेकर मानचित्र की स्वीकृति तथा कम्पाउन्डिंग की कार्यवाही नियमानुसार सुनिशिचत करें।

मद संख्या - 5

मेरठ शहर में लिसाडी रोड एवं खत्ता रोड को मिलाने वाली लिंक रोड के निर्माण हेतु मेरठ शहर की 0.65 एकड भूमि का अर्जन प्रस्ताव निरस्त किया जाना।

विगत बैठक में एक माह के अन्दर विज्ञप्तियाँ जारी करने की बात कही गयी थी परन्तु अभी विज्ञप्तियाँ जारी नहीं हुई है। अत: किसी अधिकारी को भेजकर इसे पूर्ण किया जाये।

मद संख्या -6

मैसर्स सूर्य प्रिन्टर्स की ग्राम रिठानी में स्थित भूमि खसरा नं०-1043 क्षेत्रफल 0-18-0 बीघा को प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव।

प्राधिकरण को अपर जिलाधिकारी (प्र०) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों से अवगत कराया गया। विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि समायोजन से सम्बन्धित जितने भी मामले हैं उनका स्थल निरीक्षण करा लिया जाये, यह भी देखा जाये कि मौके पर जो भी निर्माण हैं वह विज्ञप्तियाँ जारी करने से पूर्व के हैं अथवा बाद में बनाये गये हैं नियोजन की दृष्टि से सम्बन्धित भूमि की उपयोगिता पर विचार करते हुए सजरा प्लान पर इन भूखण्डों को दर्शाते हुए स्पष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 7

भूमि अर्जन के पुराने प्रस्ताव जिनमें भूमि अर्जन की स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी हुई है और जिनमें धारा-4,6 व 17 की विज्ञप्तियाँ अभी निर्गत नहीं हुई है उनको बनाये रखना अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव।

भूमि अर्जन के पुराने प्रस्तावों में प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद धारा-4,6 व 17 की विज्ञप्तियाँ निर्गत नहीं हुई हैं उनके सम्बन्ध में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के उपयोग, प्रतिकर भुगतान, योजना हेतु संसाधनों की व्यवस्था,

सेलेबिल्टी ऑफ लेण्ड पर विचार करते हुए प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 8

मेरठ दिल्ली मार्ग पर ग्राम बराल परतापुर में खसरा संख्या-756 अ व 756 ब (नीलगिरि सीमेन्ट) का भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव ।

उपरोक्त खसरा नम्बरों के भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पी-3 से औद्योगिक (एम-3) में परिवर्तित करने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया गया कि आस पास का क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक भूउपयोग का है । अत: पी-3 भूउपयोग की इस छोटी सी पट्टी को औद्योगिक भूउपयोग में परिवर्तन करने की संस्तुति शासन को भेज दी जाये । तदनुसार शासन को सूचित किया गया । शासन ने उपरोक्त भूउपयोग परिवर्तन का आलेख स्थानीय समाचार पत्रों में आपत्तियाँ/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित कराने हेतु निर्देश दिये जिसके अनुपालन में सूचना स्थानीय समाचार पत्र चमकता भारत व दैनिक मयराष्ट्र में प्रकाशित करायी गयी । टंकण की गलती से आलेख में प्रस्ताव का भूउपयोग में नाम क्लेचर तो सही लिख गया परन्तु एम-3 के स्थान पर एम-2 टंकित हो गया । उपरोक्त समाचार पत्र में जो सूचना प्रकाशित करायी गयी उसमें एक में तो एम-3 तथा एक में एम-2 छापा गया । प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरों का भूउपयोग परिवर्तन पी-3 से एम-3 में ही होना था । मास्टर प्लान में गाईड लाईन में भी मीनी सीमेन्ट प्लान्ट एम-3 में ही आता है । उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण के भूउपयोग परिवर्तन की अधिसूचना भी शासन द्वारा जारी किया जा चुका है । इस प्रकार प्राधिकरण का मंशा साफ था । पूरे प्रकरण को देखते हुए आज की बैठक में यह तय किया गया कि इस बिषय पर विधिक राय ले ली जाये कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में क्या इस बिषय पर नये सिरे से आपत्तियाँ/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु सूचना प्रकाशित करानी होगी अथवा टंकण की गलती का सुधार मात्र शुद्धि पत्र से किया जा सकता है ।

मद संख्या-10,11,12 एवं अन्य बिषय का - 3

भाई जोगा सिंह (इंगलिश मीडियम) पब्लिक स्कूल देवपुरी, मेरठ सेठ छज्जू सिंह, झण्डू सिंह माहेश्वरी जूनियर हाई स्कूल सराय लाल दाय, मेरठ श्री लाल बहादुर शास्त्री, हायर सेकेन्ड्री स्कूल शिवाजी कालोनी, मेरठ को रियायती दर पर भूमि आबंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

मेरठ पब्लिक स्कूल को क्रीडा स्थल हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा नौयडा विकास प्राधिकरण में शिक्षण संस्थाओं को भूमि शासनादेश संख्या - 7323 दिनाँक 11-11-86 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही आबंटित की जा रही है और उपरोक्त संस्थाओं को भूमि आबंटन प्रस्तावों पर प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 में लिये गये निर्णय से शासन को अवगत करा दिया गया हैं मेरठ में हर स्तर की शिक्षण संस्थायें आ सके इसके लिये क्राईटैरिया भी बना लिया गया है। प्राधिकरण ने निर्देशित किया कि प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 22-10-90 में जो निर्णय लिये गये हैं तथा इसकी सूचना जो शासन को भेजी गयी है उस पर कार्यवाही रोके जाने हेतु पत्र लिखकर अनुरोध किया जाये। इसी दौरान शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन हेतु क्राईटैरिया निर्धारित कर लिया जाये।

अन्य बिषय

1- मेरठ विकास क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के समक्ष 101 अनाधिकृत कालोनियों की सूची जिसे श्रेणी ए, बी, सी तथा डी में विभक्त किया गया है, प्रस्तुत की गयी। उपाध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि अनाधिकृत कालोनियों का यह वर्गीकरण प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि जिन कालोनियों में पर्याप्त आबादी हो गयी है उनमें से श्रेणीवार दो-दो कालोनियों को लेकर सहयुक्त नियोजक से विचार विमर्श के बाद एक मॉडल

तैयार कर लिया जाये जिन कालोनियों में सडकें आदि निर्मित करके केवल प्लाटिंग की गयी है उनके ले-आउट प्लान पर नियमानुसार विचार किया जाये ।

9- गड रोड पर मधु नर्सिंग होम के सामने खसरा नं०-6041 नगर महापालिका की भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण ।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रशनगत भूमि विवादग्रस्त हैं अत: विचारोपरान्त तय हुआ कि जब तक विवाद समाप्त न हो प्रस्ताव स्थगित कर दिया जाये ।

11- अनाधिकृत रुप से बेनामी बनायी जा रही कालोनियों पर रोक के सम्बन्ध में ।

अनाधिकृत कालोनियों की सूची प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी उसमें सी और डी श्रेणी की कालोनियाँ कालोनाईजर द्वारा बनायी गयी हैं प्राधिकरण ने इस बिषय पर चिन्ता प्रकट करते हुए निर्देशित किया कि प्राईवेट बिल्डर्स/डवलपर्स तथा कालोनाईजर्स प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बगैर यदि कोई कालोनी बनाते हैं तो उसे प्रारम्भिक स्तर परही रोक दिया जाये तथा समाचार पत्रों में नियमित रुप से ऐसी कालोनी के बारे में जानकारी प्रकाशित की जाये जिससे आम जनता ऐसी अनाधिकृत कालोनियों में फँसने से बच सकें । इन कालोनियों के तलपट मानचित्र तब तक स्वीकृत न किये जायें जब तक वह निर्धारित विकास के मापदण्डों तथा अन्य रिक्वायरमेन्टस को पूरा न करते हों ।

बैठक दिनाँक 9-9-91

मद संख्या-3

प्राधिकरण में तीन बर्ष से अधिक समय से कार्यरत एवं बोनस प्राप्त कर्मचारियों को संयत वेतन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर प्राधिकरण में विस्तार से चर्चा हुई। विशेष सचिव, वित्त का मत था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आधार पर तीन बर्ष से अधिक समय से निरन्त सेवा में कार्यरत श्रेणी "ग" व "घ" के कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के मूल वेतन, वेतन वृद्धियों तथा वर्तमान में प्रचलित 51 प्रतिशत की दर से मॅहगाई भत्ता दिये जाने के परिणाम इन 50 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया हैं नियमितीकरण करने के लिये आवश्यक है कि पद स्वीकृत हों मुख्य लेखाधिकारी ने इस मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस समय प्राधिकरण में इस श्रेणी "ग" के प्राधिकरण से 85 पद स्वीकृत हैं जिनमें से शासन ने 46 पदों की स्वीकृति दे रखी है परन्तु कार्य की अधिकता के कारण 127 कर्मचारी कार्यरत हैं प्राधिकरण के पूँछने पर बताया गया कि इस समय दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के श्रेणी"ग" के कर्मचारियों को रु० 30/- प्रतिदिन तथा श्रेणी "घ" के कर्मचारियों को रु० 25-00 प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण का बजट जो बर्ष 1988-89 में लगभग 40-00 करोड का था बह बर्ष 89-90 में 98 करोड तथा बर्ष 1990-91 में 105 करोड का हो गया। प्राधिकरण में पिछले बर्ष 4 नये अभियन्त्रण खण्ड भी बढ गये हैं। लिटीगेशन बढने के फलस्वरुप लीगल सेल की स्थापना की गयी हैं। बढे हुए कार्यो के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता बनी हुई है। विचारोपरान्त प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि तीन बर्ष से अधिक निरन्तर सेवा के कर्मचारियों को संयत वेतन दिये जाने हेतु शासन को संस्तुति भेज दी जाये। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि दैनिक वेतन/वर्कचार्ज श्रेणी "घ" व "ग" के कर्मचारियों के दैनिक वेतन की दरें दिनाँक 1-9-91 से क्रमश: रु० 30-00 तथा रु० 35-00 प्रतिदिन संशोधित कर दी जाये। संयत वेतन के बारे में जब तक शासन से कोई निर्णय न हो जाये तब तक तीन बर्ष से पुराने एवं बोनस प्राप्त कर्मचारियों को संशोधित दरों के आधार पर ही भुगतान किया

जायेगा । प्रोजेक्ट के विरुद्ध साईड पर जो वर्कचार्ज स्टाफ रखा जाता है उसके बारे में प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि 240 दिन पूरे करने से पूर्व ही उसे बदल दिया जाये । विशेष सचिव, वित्त का मत था कि यह प्रोजेक्ट इंचार्ज (अधिशासी अभियन्ता) की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि प्राधिकरण पर कोई स्थायी लायेबिलिटी न बनने पाये । मुख्य अभियन्ता ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि पहले जो दो प्रतिशत कन्टेन्जेंसी का प्राविधान था वह अब एक प्रतिशत कर दिया गया है । प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि योजनाओं पर ठेकेदारों से कार्य कराये जा रहे हैं तो केवल 0.5 कन्टेन्जेन्सी के अन्तर्गत स्टाफ रखा जाये । साईट पर कन्टेन्जेंसी में रखे जाने वाला स्टाफ इससे अधिक न हों ।

मद संख्या - 4

इलैक्ट्रा वर्ल्ड के भवन मानचित्र संख्या - 20/91 पर विचार ।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया । सहयुक्त नियोजक का मत था कि रिक्रेशनल पाकर्स पी-1 से पी-3 के अन्तर्गत ही आते हैं परन्तु प्रस्तुत भवन मानचित्र किसी कम्यूनिटी पार्क का न होकर एक निजी व्यक्ति का हैं पी-1 से पी-3 सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं तक ही सीमित है । उपरोक्त रिक्रेशनल पार्क हेतु पिकअप से ऋण भी प्राप्त किया गया है । विशेष सचिव वित्त का मत था कि इस पार्क को एक उद्योग के रुप में चलाया जा रहा है जिसमें बडे पैमाने पर विद्युत की खपत भी निहित है । अत: निशिचत रुप से यह उद्योग की श्रेणी में आता है । विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इसको एम-1 से एम-3 के अन्तर्गत रखा जाये । प्रदूषण बोर्ड तथा नियत प्राधिकारी अर्बन सीलिंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।

मद संख्या - 5

प्रचार एवं प्रसाद मद में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान ।

प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गयाकि उपरोक्त मद में बर्ष 1991-92 के बजट में अनुमोदित धनराशि से अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि रु० 28-00 लाख का उपयोग योजनाओं के ही

विज्ञापनों पर किया जायेगा, अनुत्पादक कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा ।

मद संख्या - 6

प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बल्क सेल में भूमि दिये जाने हेतु दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर गहन विचार के बाद प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बल्क सेल हेतु जो दरें प्रस्तावित की गयी हैं वह सभी प्रकार के भूमि के लिये फलैट रेट ही है जबकि शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को हाऊसिंग, इंडस्टियल, इंस्टूयशनल तथा कामर्शियल उपयोग हेतु ही दी जाने वाली भूमि की दरें अलग-अलग होनी चाहिए । अत: विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये ।

मद संख्या - 7

सहायक अभियन्ताओं/ अवर अभियन्ताओं को कान्ट्रैक्ट पर रखने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर प्राधिकरण की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई । वर्क चार्ज के सहायक अभियन्ताओं/ अवर अभियन्ताओं को सेवा में बनाये रखने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश का भी अवलोकन किया गया । विशेष सचिव वित्त का यह स्पष्ट मत था कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या -13/9-90(9)/कार्मिक-1-1990 दिनाँक 8-6-90 में केवल उन्हीं पदों पर नियत वेतन में अनुबन्ध पर तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है जिनकी नियुक्ति के लिये वह सक्षम हैं । सहायक अभियन्ताओं/ अवर अभियन्ताओं के नियुक्ति प्राधिकारी शासन है । अत: जो सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता पहले से ही नियत वेतन पर कार्य कर रहे हैं उनके अलावा किसी औरं को नियत वेतन पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्राधिकरण में 28 सहायक अभियन्ता तथा 96 अवर अभियन्ता होने चाहिए जबकि 14 सहायक अभियन्ता तथा 55 अवर अभियन्ता ही कार्यरत है । कार्यहित में उपरोक्त वर्कचार्ज सहायक

अभियन्ताओं तथा अवर अभियन्ताओं को बनाये रखने के लिये अपनी बाध्यता से शासन को अवगत करा दिया गया हैं विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह श्रेणी "ग" एवं "घ" के वर्कचार्ज कर्मचारियों की दैनिक वेतन की दरों में संशोधन किया गया है उसी तरह वर्कचार्ज सहायक अभियन्ताओं की दैनिक वेतन की दरें रु० 60.00 प्रतिदिन से बढाकर रु० 70.00 प्रतिदिन की जाती है । वर्कचार्ज अवर अभियन्ताओं जिन्हें रु० 1275.00 संयत वेतन मिल रहा है उनका संयत वेतन रु० 1500.00 किया जाता है पूर्व से दैनिक वेतन पर कार्यरत अवर आभियन्ताओं जिन्हें 1500.00 संयत वेतन मिल रहा है उसे संशोधित करके रु० 1800.00 किया जाता है । कान्ट्रेक्ट पर चल रहे 5 सहायक अभियन्ताओं का संयत वेतन यथावत रु० 3300.00 प्रति माह रहेगा । संशोधित दर दिनाँक 1-9-91 से प्रभावी होगी । प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि जिन वर्कचार्ज अवर अभियन्ताओं को प्राधिकरण में कार्य करते हुए अभी २४० दिन नहीं हुए उन्हें यह अवधि पूरी करने से पूर्व ही पृथक कर दिया जाये ।

मद संख्या - 8

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन को प्राधिकरण की विभिन्न योजनान्तर्गत भूमि मिल्क बूथ हेतु आबंटित किये जाने पर विचार ।

प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मिल्क बूथ स्थापित किये जाने हेतु प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो कम्यूनिटी तथा ओपन लेण्ड उपलब्ध है उसमें से ही सडक के किनारे मिल्क बूथ स्थापित किये जाने हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करा दी जाये । मिल्क बूथों के निर्माण का व्यय पी० सी० डी० एफ० स्वयं वहन करेगा । मिल्क बूथ समय से सक्रिय होजाये इसके लिये पी० सी० डी० एफ० के अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाये ।

मद संख्या - 9

नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा स्वीकृत रु० 2783.07 लाख ऋण का डाकूमेन्टेशन।

नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा स्वीकृत रु० 2783.07 लाख ऋण के डाकूमेन्टेशन प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये जिसका अवलोकन कर अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या - 10

बैंकों से रुपये 10 करोड की सीमा स्वीकृत कराने हेतु।

प्रस्ताव पर संक्षिप्त विचार के बाद बैंकों से प्रस्तावित कैश लिमिट तथा ओवर ड्राफट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 11

जोनिंग रेग्यूलेशन पर विचार।

प्रस्ताव पर विचार हुआ। चर्चा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त फर्म को जोनिंग रेग्यूलेशन की स्टडी का कार्य अध्यक्ष के निर्देशानुसार सौंपा गया था परन्तु उसे अभी तक किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। अत: तुरन्त ही भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान कर दिया जाये। जोनिंग रेग्यूलेशन हेतु विस्तृत परीक्षण कर निशिचत प्रस्ताव बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाये। इस कार्य में सहयुक्त नियोजक का भी सहयोग प्राप्त कर लिया जाये।

मद संख्या - 12 तथा अन्य बिषय का -4

नये भूअर्जन प्रस्तावों पर प्राधिकरण ने विचार किया। मुख्य अभियन्ता ने इस प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि प्राधिकरण ने हापुड रोड, दिल्ली रोड तथा मेरठ वाईपास पर जहाँ सडक के एक तरफ भूमि अर्जित कर रखी है वहीं सडक के दूसरी तरफ भूमि अर्जित न होने के कारण हैफजर्ड ढंग से होने वाले विकास को रोकने तथा सुनियोजित विकास के उददेश्य से भूमि अर्जन के यह प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। चर्चा के दौरान यह बात भी

प्रकाश में आयी कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का भूउपयोग ग्रीन बैल्ट है जिसे तब तक अध्याप्ति नहीं किया जा सकता जब तक इस भूउपयोग का न बदल दिया जाये। सहयुक्त नियोजक का कहना था कि मेरठ महायोजना का जो पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें मेजर परिवर्तन सम्भावित है। भूमि अर्जन के उन प्रस्तावों के लिये प्रतिकर के लिये संसाधनों की व्यवस्था तथा भूमि की सेलेबिल्टी भी देखनी होगी। विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निम्न अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का निश्चय किया जो भूमि की सेलेबिल्टी, प्रतिकर के लिये संसाधन तथा नियोजन की दृष्टि से अपनी संस्तुति देगी। समिति में वित्त, भूअर्जन तथा टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग के प्रतिनिधि होंगे।

अन्य बिषय

1- प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाँक 24-12-86 के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर निम्न योजनाओं में ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में निम्नलिखित योजनाओं हेतु बाँछित ऋण प्राप्त करने की सहमति दी गयी थी।

प्राधिकरण ने उन योजनाओं की सूची का अवलोकन किया जिनके विरुद्ध ऋण प्राप्त करने की सहमति उपाध्यक्ष ने दी थी।

2- विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। दूसरे प्राधिकरणों में इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राधिकरण ने प्राप्त की। निर्णय लिया गया कि यह मामला निति बिषयक हैं अत: प्रदेश स्तर पर नीति निर्धारण हेतु शासन को अग्रसारित कर दिया जाये।

5- स्टाफिंग पैटर्न हेतु।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि कलैक्ट्रैट तथा पी०डब्ल्यू०डी० में स्टाफिंग पैटर्न लागू है जिसके अनुसार कुल क्लर्कीकल स्टाफ के 56 प्रतिशत पद कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान में, 32 प्रतिशत वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान में तथा 12 प्रतिशत मुख्य लिपिक/कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में रखे गये है। इस प्राधिकरण का गठन नवम्बर 1976 में हुआ था उस समय नियुक्त किये गये लिपिक अभी भी कनिष्ठ वेतनमान में कार्य कर रहे हैं जबकि स्वीकृत 35 पदों के विरुद्ध कनिष्ठ वेतनमान के 19, वरिष्ठ वेतनमान के 12 तथा मुख्य लिपिक/कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान के 4 पद बनते है। प्राधिकरण में इस समय मात्र एक ही प्रधान लिपिक कार्यरत है। सम्पत्ति अनुभाग, भवन नियन्त्रण अनुभाग तथा अभियन्त्रण अनुभाग में कोई भी प्रधान लिपिक नहीं है। विशेष सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि प्राधिकरण जैसी अन्य संस्थाओं में इफीसेन्सी बढाने के लिये नई टैक्नोलाजी को काम में लाना चाहिए। उन्होंने पिकअप का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ बहुत कम स्टाफ से बेहतर इफीसेन्सी प्राप्त की गयी है, कम्प्यूटरीकरण पर विशेष जोर दिया जाये जिससे स्टाफ पर निर्भरता को कम किया जा सके। यह सुझाव दिया गया कि यदि कुछ कर्मचारियों को उनकी ज्येष्ठता एवं योग्यता को देखते हुए पर्सनल पे देकर अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं तो इसे प्राधिकरण के समक्ष पूर्ण औचित्य के साथ आर्गनाईजेशनल सेटअप के सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

6- वाहन भत्ता बढाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। वर्तमान में अभी वाहन भत्ता स्कूटर के लिये रु० 150.00 तथा कार के लिये रु० 400.00 दिया जा रहा है जबकि पैट्रोल के दामों में आशातीत वृद्धि हो गयी है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्कूटर के लिये वाहन भत्ता रु० 200.00 तथा मोटर कार के लिये रु० 500.00 कर दिया जाये। मोटर कार हेतु वाहन भत्ता के लिये वहीं अधिकारी पात्र होंगे जिनका मूल वेतन रु० 3000.00 मासिक से कम न हो अथवा अधिशासी

अभियन्ता के समकक्ष हों, जो अधिकारी पहले से मोटर कार भत्ता पा रहे थे वे यथावत पाते रहेंगे ।

प्राधिकरण के बर्ष 1991-92 के बजट प्राविधानों के विरुद्ध दिनाँक 31-8-91 तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई आय तथा विभिन्न मदों पर हुए व्यय की जानकारी दी गयी । मुख्य लेखाधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण को अगस्त, 1991 तक विभिन्न स्त्रोतों से रु० 30.54 करोड की आय हुई और विभिन्न मदों पर रु० 36.91 करोड व्यय हुआ । भवनों/भूखण्डों की बिक्री से लगभग 14 करोड की आय अब तक हो चुकी है जो गत बर्ष की इसी अवधि तक हुई आय की तुलना में तो अधिक है । परन्तु बजट प्राविधान रु० 78.00 करोड के विरुद्ध बहुत ही कम है । बजट में किये गये प्राविधानों के अनुसार वित्तीय बर्ष की शेष अवधि में 10 करोड प्रतिमाह प्राप्त करने पर ही लक्ष्य को पूरा करना सम्भव होगा जिसके लिये उपाध्यक्ष रणनीति तैयार करें ।

अन्त में उपाध्यक्ष,मेरठ विकास प्राधिकरण ने आज की बैठक की अध्यक्षता के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त की गयी ।

अनुमोदित ।

ह०/-

(जे०एन०रंजन)

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।